

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 तारानगर

अनुवान मलकित सिंह बनाम राजस्थान सरकार

प्रार्थना-पत्र संख्या - 631/2025

निर्णय दिनांक 31.12.2025

मलकित सिंह पुत्र जगीर सिंह जाति जाट निवासी झांझणी तहसील चूरु जिला चूरु

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरु।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

-::निर्णय::-


प्रार्थी द्वारा ग्रामीण सेवा शिविर 2025 तारानगर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि खाता संख्या 134 के खसरा सं. 404/178 तादादी 2.0232 है0 एवं खाता संख्या 315 के खसरा सं. 112 तादादी 2.0232 है0, खसरा सं. 187 तादादी 10.6850 है0, खसरा सं. 241 तादादी 11.2793 है0, खसरा सं. 271 तादादी 1.2645 है0, खसरा सं. 63 तादादी 2.8831 है0, खसरा सं. 79 तादादी 0.2529 है0 रोही ग्राम झांझणी तारानगर में दर्ज रिकॉर्ड है। जिसमें प्रार्थी का नाम क्रमशः मलिकयतसिंह पुत्र जगीरसिंह तथा मलकिताराम पुत्र माली दर्ज है जो कि गलत है। जबकि सही नाम मलकित सिंह पुत्र जगीर सिंह है। अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि नाम शुद्ध कर दर्ज करवाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके संलग्न दस्तावेजों तथा तहसीलदार तारानगर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार ने अपनी जांच रिपोर्ट में प्रार्थी का नाम क्रमशः मलिकयतसिंह पुत्र जगीरसिंह तथा मलकिताराम पुत्र माली के स्थान पर मलकित सिंह पुत्र जगीर सिंह किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः खाता संख्या 134 के खसरा सं. 404/178 तादादी 2.0232 है0 एवं खाता संख्या 315 के खसरा सं. 112 तादादी 2.0232 है0, खसरा सं. 187 तादादी 10.6850 है0, खसरा सं. 241 तादादी 11.2793 है0, खसरा सं. 271 तादादी 1.2645 है0, खसरा सं. 63 तादादी 2.8831 है0, खसरा सं. 79 तादादी 0.2529 है0 रोही ग्राम झांझणी तारानगर के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम क्रमशः मलिकयतसिंह पुत्र जगीरसिंह तथा मलकिताराम पुत्र माली Delete कर इसके स्थान पर मलकित सिंह पुत्र जगीर सिंह अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैं तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फंसला शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को ग्रामीण सेवा शिविर 2025 तारानगर में

लिखाया जाकर सुनाया गया।


राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरु)

